न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान किरण आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना–पत्र संख्या – 158 / 2025

निर्णय दिनांक 20-06-2025

1. किरण पत्नी हरी कृष्ण पुत्री शीशपाल जाति ब्राह्मण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. शांति पत्नी शीशपाल जाति ब्राह्मण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. मनोहर लाल पुत्र शीशपाल जाति ब्राह्मण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. च्यानण राम पुत्र शीशपाल जाति ब्राह्मण निवासी झोथड़ा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 236 खसरा सं. 141 तादादी 3.7682 हैक्ट, खसरा नं. 266 तादादी 16.0465 हैक्ट. ख.नं. 627/99 तादादी 1.3404 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त खसराजात की वर्तमान राजस्व जमाबंदी में भूलवश प्रार्थीगण के पिता का नाम शीशपाल की जगह शिवपाल दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थीगण के आधार कार्ड में पिता का नाम शीशपाल है। प्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण उक्त कृषिभूमि पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान हो रहा है। अब प्रार्थीगण जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना–पत्र पेश कर रहा हैं कि कृषि भूमि रोही मौजा झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 236 खसरा सं. 141 तादादी 3.7682 हैक्ट, खसरा नं. 266 तादादी 16.0465 हैक्ट. ख.नं. 627/99 तादादी 1.3404 हैक्ट. में प्रार्थीगण के पिता का नाम पुत्र शीशपाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के पिता का नाम शीशपाल व शिवपाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनों का गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम शीशपाल पाया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम शीशपाल पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम शिवपाल अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थीगण को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही झोथड़ा पटवार हल्का पण्डरेउ ताल तहसील तारानगर के खाता संख्या 236 खसरा सं. 141 तादादी 3.7682 हैक्ट, खसरा नं. 266 तादादी 16.0465 हैक्ट. ख.नं. 627/99 तादादी 1.3404 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम **शिवपाल Delete** कर इसके स्थान पर **शीशपाल** अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-06-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)